



केंद्र ने जारी किया मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फारमगि कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि मिंतरालय ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फारमगि एक्ट, 2018 जारी कर दिया। इसमें कसिनों के हतियों के संरक्षण पर पर जोर दिया गया है। एक्ट में माना गया है कि जब दो पारटीयों कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं, तो कसिन का पक्ष कमज़ोर होता है। अतः उसके हतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है।

प्रमुख बातें

- एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फारमगि के अलावा मूलय शरूंखला के अंतर्गत आने वाले उत्पादन-पूरव, उत्पादन, और उत्पादन के बाद के सेवा अनुबंधों को भी शामिल किया गया है।
- एक्ट में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आने वाले उत्पाद को फसल / पशुधन बीमा के तहत कवर किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट फारमगि एपीएमसी अधनियम के दायरे से बाहर होगी।
- एक्ट में कहा गया है कि कसिन की भूमिया परसिर में कोई भी स्थाई नरिमाण नहीं किया जा सकता है और प्रायोजक के नाम पर भूमि से संबंधित कोई भी अधिकार हस्तांतरित नहीं हो सकता है।
- एक्ट के अनुसार, छोटे और सीमांत कसिनों को संगठित करने के लिये कसिन उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / कसिन उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
- एफपीओ और एफपीसी को यदिकसिनों द्वारा अधिकृत किया जाए, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टगि पारटीयाँ बन सकती हैं।
- गाँव और पंचायत स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फारमगि और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये एक कॉन्ट्रैक्ट फारमगि सुविधा समूह (सीएफएफजी) उपलब्ध कराया जाएगा।
- कॉन्ट्रैक्ट फारमगि की अवधारणा कृषिकी एक प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसमें कृषि-प्रसंस्करण / नरियात या व्यापार इकाइयाँ कसी कृषि उत्पाद की निश्चिति मात्रा की पूरव-नरिधारति मूलय पर खरीदारी हेतु कसिनों के साथ एक अनुबंध (Contract) करती है।
- कपास, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबर जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती में पूरव समय से ही अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट फारमगि के तत्त्व मौजूद हैं।
- 2017-18 के बजट में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फारमगि एक्ट के नरिमाण की घोषणा की गई थी।

इस संबंध में मौजूदा नियमिक संरचना क्या है?

- वर्तमान में कुछ राज्यों में अनुबंध खेती के लिये कृषि उत्पाद विपणन समिति (Agricultural Produce Marketing Committee -APMC) के द्वारा पंजीकरण किये जाने की आवश्यकता होती है।
- इसका अर्थ यह है कि अनुबंध समझौतों को एपीएमसी के साथ दरज किया जाता है जो इन अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का काम करती है।
- इसके अलावा, अनुबंध खेती करने के लिये एपीएमसी को बाज़ार शुल्क और लेवी का भुगतान किया जाता है।
- मॉडल एपीएमसी अधनियम, 2003 के तहत राज्यों को अनुबंध खेती से संबंधित कानूनों को लागू करने संबंधी अधिकार प्रदत्त किया जाते हैं।
- इस अधनियम के परिणामस्वरूप 20 राज्यों द्वारा अपने एपीएमसी अधनियमों में अनुबंध खेती हेतु संशोधन किये गए हैं, इतना ही नहीं, पंजाब में तो अनुबंध खेती पर अलग से एक कानून का नरिमाण किया गया है।